न्यायालय उपजिलाधिकारी,बाह (आगरा)

वाद संख्या — 04 / 2009

रामनाथ वनाम उ0प्र0सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा— भदरौली,तह0 बाह (आगरा)

आदेश

प्रार्थी रामनाथ सेतिया पुत्र महाराजसिंह निवासी फरैरा तह0 बाह हाल निवासी 11 पुष्पांज बाग फेस–2 दयालबाग आगरा के द्वारा दिनांक 20/1/2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौ भदरौली स्थित भूमि गाटा संख्या 278 रकवा 1.385 है0 जो कि मोतीलाल रामनाथ महाविद्याल भदरौली द्वारा संचालित श्री बटेश्वरनाथ महाराज फाउन्डेशन ट्रस्ट वहैसियत अध्यक्ष रामनाथ सेति पुत्र महाराजसिंह नि0 फरैरा व उपाध्यक्ष मनोहरसिंह पुत्र करनसिंह नि0 भदरौली व उपसचि विशालसिंह पुत्र मनोहरसिंह नि0 ग्राम के नाम दर्ज है,को उ0प्र0 ज0वि0.अधि0 की धारा 143 अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में नायव तहसीलदार पूर्वी से स्थल निरीक्षण करा गया । नायव तहसीलदार पूर्वी ने अपनी स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 6/4/2009 प्रस्तुत की,जिस उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा भदरौली तह0 बाह के गाटा संख्या 178 रकवा 1.385 है भूमि खतौनी वर्ष 1411 लगायत 1416 फसली में मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय भदरौली द्वा संचालित श्री बटेश्वरनाथ महाराज फाउन्डेशन ट्रस्ट वहैसियत अध्यक्ष रामनाथ सेतिया पुत्र महाराजसि व उपाध्यक्ष मनोहरसिंह पुत्रक करनसिंह व उपसचिव विशालसिंह पुत्र मनोहरसिंह नि0 ग्राम के न दर्ज है । यह भूमि संकमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है । उक्त संस्था श्री बटेश्वरनाथ महारा फाउन्डेशन के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं उपसचिव उक्त भूमि को आबादी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं त मौके पर उक्त भूमि मे मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय भदरौली के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ क दिया है । इस प्रकार उक्त भूमि पूर्णरूपेण अकृषिक है । उक्त भूमि में मौके पर मत्स्य पालन,कुक्क पालन,बागवानीी इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार प की आख्या नियम 135 के अन्तर्गत निम्नवत है —

नाम ग्राम	भूमिधर का नाम/पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मा0गु0	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने बाले खाते का क्षेत्रफल गा0 क्षेत्रफल	विशिष्ट कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या कोई भाग काम में लाया जाता हो
भदरौली	मेतीलाल रामनाथ महाविद्यालय द्वारा संचालित श्री बटेश्वरनाथ महाराज फाउन्डेशन ट्रस्ट वहैसियत अध्यक्ष रामनाथ सेतिया पुत्र महाराजसिंह नि0फरैरा,उपाध्यक्ष मनोहरसिंह पुत्र करनसिंह नि0भदरौली व उपसचिव विशालसिंह पुत्र मनोहरसिंह नि0 ग्राम	227	4.453 है0	69.00	178 1.385	ग0सं0 178 रकवा 1.385 है0 भूमि पर मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय भदरौली के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है उक्त भूमि में मत्स्य पालन,कुक्कट पालन बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है ।

इस प्रकार नायव तहसीलदार पूर्वी की आख्या से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य यथा मत्स्य पालन,कुक्कट पालन,बागवानी इत्यादि नहीं किया जा रहा है । वर्तमान में उक्त भूमि पूर्ण रूप से अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है ।

अतः नायव तहसीलदार पूर्वी की आख्या से संतुष्ट होते हुए मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय भदरौली द्वारा संचालित श्री बटेश्वरनाथ महाराज फाउन्डेशन ट्रस्ट वहैसियत अध्यक्ष रामनाथ सेतिया पुत्र महाराजसिंह नि0फरैरा व उपाध्यक्ष मनोहरसिंह पुत्र करनसिंह नि0 भदरौली व उपसचिव विशालसिंह पुत्र मनोहरसिंह नि0 ग्राम के नाम दर्ज भूमि गा0सं0 178 रकवा 1.385 है0 भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू व्य0 अधि0 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है । आदेश की एक प्रति तहसीलदार बाह एवं उपनिबन्धक बाह को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये । पत्रावली पूर्ण कर दाखिल दफतर की जाये ।

दिनांक – 19.04.09

(रेखा एस.चौहान)
उपजिलाधिकारी,बाह